भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 578
गुरुवार, 06 फरवरी, 2025/ 17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

परान्दूर विमानपत्तन का विकास

578. डॉ. टी. सुमति उर्फ
तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में परान्दूर विमानपत्तन के विकास के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार परान्दूर विमानपत्तन के विकास के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार विमानपत्तन के निर्माण हेतु मृदा परीक्षण आदि जैसे अनुपालन हेतु राज्य को सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): तमिलनाडु सरकार के उपक्रम तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के परान्दूर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को आवेदन प्रस्तुत किया था। अगस्त 2024 में, नागर विमानन मंत्रालय ने तमिलनाडु के परान्दूर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु टीआईडीसीओ को साइट क्लीयरेंस अनुमोदन प्रदान किया। तत्पश्चात, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु टीआईडीसीओ से आवेदन प्राप्त हुआ है।

जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, आरएंडआर आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होती है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेंस की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदिपर निर्भर करती है।

******